रिाजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01337/2023

धर्मपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रदीप सिंह, कनिष्ठ सहायक वर्तमान में पदस्थापित कार्यालय आर.डब्लू.एस. एवं एफ. एम.पी.।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.04.2023
आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत आदेश दिनांक 27.05.2015 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि नियमित एवं संतोषप्रद पूर्ण करने पर आदेश दिनांक 26.03.2018 के द्वारा वेतन निर्धारण किया गया। अपीलार्थी द्वारा सफलतापूर्वक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परीक्षा नियंत्रण एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 15.05.2019 को प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ सहायकों की एक अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23.03.2021 को जारी की गयी जिसमें अपीलार्थी को 858 नंबर पर वरिष्ठता दी गयी एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से पहले स्थान दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 26.11.2021 जारी की गयी जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–437 पर अंकित किया गया तथा इसमें भी अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को वरिष्ठता सूची अपीलार्थी

से वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अपीलार्थी को आज दिनांक तक न तो कोई चार्जशीट दी गयी न ही अपीलार्थी को कोई दण्ड दिया गया न ही अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2020–2021 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दी गयी उसी दिनांक से अपीलार्थी को समस्त अनुप्रासंगिक लाभ सहित पदोन्नति दी जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर मकराना, नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा अपनी पदोन्नति कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति हेतु विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिनाक 13.04.2023 को प्रस्तुत किया जो कि अपील के साथ (अनुलग्नक–13) सलंग्न है जिसका निस्तारण आज दिनांक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.04.2023 (अनुलग्नक–13) को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना चाहेगें कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)